

पत्रांक 4350 / आयु0क0उत्तरा0 / विधि-अनुभाग / वाणिज्य कर / 08-09 / देहरादून।

कार्यालय:-आयुक्त कर उत्तराखण्ड  
(विधि-अनुभाग)

देहरादून:दिनांक 05 मार्च,2009

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

शासन के पत्र संख्या-151/09/XXVII(8)/141(120)/2009 दिनांक 02.03.2009, के द्वारा जारी रोड़ साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में चलाई जाने वाली कैंटीनों के सम्बन्ध में "एकमुश्त समाधान योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश की छाया प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(एल0एम0पन्त)

आयुक्त कर


उत्तराखण्ड, देहरादून।

पू0प0सं0 4350 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
- 8- ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
- 9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

- 10-श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 2/5 आशीवाद इनकलेव देहरादून।
- 11-पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी०ओ०यू० परियोजना कार्यालय आई०आई०टी० रूडकी।
- 12-संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों /अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
- 13-इन्टावैट ईन्फो प्रा० लि० 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर० सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001।
- 14-नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड गाजियाबाद।
- 15-नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 16-लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 17-दी होलसेल डीलर्स एसो० 14, आढ़त बाजार देहरादून।
- 18-कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
- 19-विधि-अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

  
5/3/2009

आयुक्त कर

उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-151/09/XXVII(8)/14L(120)/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग-8)

दिनांक: देहरादून: 02 मार्च, 2009

विषय : रोड़ साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में चलाई जाने वाली कैंटीनों के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या 222 दिनांक 28-03-2008 का अवलोकन करें जिसके द्वारा रोड़ साइड ढाबा व्यवसाइयों एवं बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा कार्यालयों में चलाई जाने वाली कैंटीनों के सम्बन्ध में समाधान योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये लागू किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी थी। अब शासन द्वारा उक्त समाधान योजना अगले तीन वर्षों अर्थात् दिनांक 01-04-2009 से दिनांक 31-03-2012 तक की अवधि के लिये लागू करने का निर्णय लिया गया है और इस सम्बन्ध में योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासन के दिशा निर्देश आपको इस पत्र के साथ इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया योजना के प्राविधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन एवं आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोक्त।

विधि- अनुभाग  
अवश्यक कार्यवाही करे

अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड देहरादून

भवदीय,  
Alok Kumar Jain  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव



रोड साइड ढाबा व्यवसायों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैंटीन जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है को मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) के अन्तर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश—

1— यह योजना स्वैच्छिक है और योजना का लाभ अपनाने वाले करदाताओं द्वारा निम्न शर्त पूर्ण करने पर ही योजना अनुमन्य होगी।

2— उक्त योजना दिनांक 01-04-2009 से दिनांक 31-03-2012 की अवधि के लिये लागू होगी।

3— इस योजना का लाभ केवल ऐसे रोड साइड ढाबा व्यवसायों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैंटीनों को अनुमन्य होगा जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है।

4— योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संलग्न प्रारूप 1 में अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 30-04-2009 तक देना होगा। नये करदाता व्यापार आरम्भ होने के एक माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

5— प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 2 में एक शपथ पत्र भी उक्त तिथि तक प्रस्तुत करना होगा।

6— प्रार्थना पत्र समय से उपलब्ध न कराने की स्थिति में विलम्ब क्षमा का अधिकतर आयुक्त कर को होगा।

7— यह योजना केवल ऐसे रोड साइड ढाबा/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैंटीन सम्बन्धी व्यवसायियों को ही अनुमन्य होगी जिनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान वातानुकूलित नहीं हैं और जिनके द्वारा प्रान्त के बाहर से अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई आयात नहीं किया जाता है। योजना स्व उत्पादित उत्पाद यथा पका भोजन, नाश्ता आदि के लिए ही अनुमन्य होगी।

8— रोड साइड ढाबा से तात्पर्य ऐसे व्यवसायी से है जिसका प्रतिष्ठान नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं छावनी परिषद की सीमा के अन्तर्गत स्थित न हो।

9— इस योजना को अपनाने वाले व्यवसायियों को पृथक से कर वसूलने का अधिकार नहीं होगा और न ही इन्हें इनपुट टैक्स का लाभ देय होगा।

ly


10- योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने ढाबा/औद्योगिक प्रतिष्ठान/कैन्टीन की सकल बिक्री (उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से देय राशि समाधान शुल्क के रूप में त्रैमासिक आधार पर क्रमशः दिनांक 31 जुलाई, दिनांक 31 अक्टूबर, दिनांक 31 जनवरी एवं दिनांक 30 अप्रैल तक अपने रूप पत्र सहित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जमा करायी जायेगी।

11- यह योजना केवल एक स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाले एक प्रतिष्ठान को ही अनुमन्य होगी।

12- योजना अपनाने वाले करदाताओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की आवश्यकतानुसार करनिर्धारण अधिकारी के स्तर से जांच की जायेगी और यदि योजना की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो करनिर्धारण अधिकारी तत्काल इसकी सूचना अपने ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उपलब्ध करायेंगे और ऐसे करदाता के सम्बन्ध में योजना को चालू रखने अथवा समाप्त करने का अधिकार सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को होगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा। ज्वाइन्ट कमिश्नर योजना रद्द करने सम्बन्धी आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित करदाता को सुनवाई का अवसर देंगे। योजना से बाहर होने पर सम्बन्धित करदाता के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामान्य कर निर्धारण आदि की कार्यवाही की जायेगी।

13- औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में चलाई जा रही कैन्टीन की बिक्री की सत्यता की जांच सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान/कार्यालय से भी की जा सकेगी।

14- ऐसे करदाता जिन्होंने योजना की शर्तों का अनुपालन किया हो और जिनके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त न हुई हो को पृथक से करनिर्धारण हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता न होगी।

  
(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।



प्रारूप-1

रोड़ साइड ढाबा व्यवसाय में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

सेवा में,  
करनिर्धारक प्राधिकारी,  
खण्ड.....  
मण्डल / उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 में .....कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड.....मण्डल/ उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांक .....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/ साझीदार .....हूँ। मैंने रोड़ साइड ढाबा व्यवसाय के सम्बन्ध में वर्ष 2009 से वर्ष 2012 तक की अवधि में की गयी बिक्री पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभाँति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा पके हुए भोजन, नाश्ता आदि की वर्ष 2009 से वर्ष 2012 तक की अवधि में की गयी बिक्री पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से एकमुश्त देय समाधान धनराशि को त्रैमासिक आधार पर 4 किश्तों में क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, एवं 30 अप्रैल, तक बिक्री के रूपपत्र सहित जमा करने का निवेदन करता हूँ। कुल एकमुश्त धनराशि को शपथ पत्र/अनुबन्ध में की गयी शर्तों के अनुसार जमा करूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण मेरा यह शपथ पत्र/अनुबन्ध वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। दिनांक 01-04-2009 को ढाबा की स्थिति निम्नप्रकार है-

क्र०सं०	विवरण
1.	स्थान की उपलब्धता
2.	कुर्सीयाँ
3.	मेज
4.	फ्रिज
5.	पंखे
6.	कार्यकर्ता

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरा ढाबा वातानुकूलित नहीं है तथा ढाबा चलाने हेतु .....क्षमता का बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

### प्रामाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....के स्वामी/ साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रामाणीकरण करने वाले व्यक्ति के

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

प्रारूप-2 :-

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,  
खण्ड.....  
मण्डल / उपमण्डल.....

मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष,  
स्थायी निवासी.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि-

1. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी / साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।
2. मेरे फर्म का मुख्यालय, पूरा पता तथा निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण निम्नप्रकार है:-

1- मुख्यालय

उत्पाद

3- उक्त ढाबा की बिक्री पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी-पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्तें आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4- यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा त्रैमासिक आधार पर क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, एवं 30 अप्रैल, को रूपपत्र सहित कुल बिक्री (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से जमा की जायेगी।

5- हमारा / मेरा ढाबा नया अथवा.....से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड.)(ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक.....से बिक्री प्रारम्भ हुई है / होगी। इस पर देय समाधान राशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूंगा।



6- यदि वित्तीय वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा वर्ष 2011-2012 के लिये मेरा धारा-7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक-1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियों मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा।

7- मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त व्यापार के सम्बन्ध में न तो प्रान्त के बाहर से आयात किया जायेगा और नहीं मेरे द्वारा पृथक से कर वसूला जायेगा।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....

### घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर-1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आवद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पता.....

तिथि एवं स्थान.....



प्रारूप-1

औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही कैंटीन व्यवसाय में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,  
खण्ड.....  
मण्डल/ उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 में .....कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड.....मण्डल/ उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांक .....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/ साझीदार .....हूँ। मैंने औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही कैंटीन व्यवसाय के सम्बन्ध में वर्ष 2009 से वर्ष 2012 तक की अवधि में की गयी बिक्री पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभाँति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा पके हुए भोजन, नाश्ता आदि की वर्ष 2009 से वर्ष 2012 तक की अवधि में की गयी बिक्री पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से एकमुश्त देय समाधान धनराशि को त्रैमासिक आधार पर 4 किश्तों में क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, एवं 30 अप्रैल, तक बिक्री के रूपपत्र सहित जमा करने का निवेदन करता हूँ। कुल एकमुश्त धनराशि को शपथ पत्र/अनुबन्ध में की गयी शर्तों के अनुसार जमा करूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण मेरा यह शपथ पत्र/अनुबन्ध वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। दिनांक 01-04-2009 को कैंटीन की स्थिति निम्नप्रकार है-

क्र०सं०	विवरण
1.	स्थान की उपलब्धता
2.	कुर्सीयाँ
3.	मेज
4.	फ्रिज
5.	पंखे
6.	कार्यकर्ता

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी कैंटीन वातानुकूलित नहीं है तथा कैंटीन चलाने हेतु .....क्षमता का बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

### प्रामाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....के स्वामी/ साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रामाणीकरण करने वाले व्यक्ति के

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

५५



प्रारूप-2 :-

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,  
खण्ड.....  
मण्डल / उपमण्डल.....

मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष,  
स्थायी निवासी.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि-

1. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी / साझीदार.....(प्रारिथति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।
2. मेरे फर्म का मुख्यालय, पूरा पता तथा निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण निम्नप्रकार है:-

1- मुख्यालय

उत्पाद

3- उक्त कैंटीन की बिक्री पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी-पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्तें आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4- यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा त्रैमासिक आधार पर क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, एवं 30 अप्रैल, को रूपपत्र सहित कुल बिक्री (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से जमा की जायेगी।

5- हमारा / मेरा कैंटीन नया अथवा.....से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड)(ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें

दिनांक.....से बिक्री प्रारम्भ हुई है/होगी। इस पर देय समाधान राशि में आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूंगा।

6- यदि वित्तीय वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा वर्ष 2011-2012 के लिये मेरा धारा-7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक-1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निवाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियाँ मेरी फर्म के विरुद्ध कर सकेगा।

7- मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त व्यापार के सम्बन्ध में न तो प्रान्त के बाहर से आयात किया जायेगा और नहीं मेरे द्वारा पृथक से कर वसूला जायेगा।

हस्ताक्षर.....  
पूरा पता.....  
प्रारिथति.....

### घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर-1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
प्रारिथति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....  
नाम एवं पता.....  
तिथि एवं स्थान.....